भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 1655

मंगलवार, 3 अगस्त, 2021 / 12 श्रावण, 1943 (शक)

केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) को युक्तिसंगत बनाने के लिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिश

1655. **श्री सतीश चंद्र दुबे:**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 15वें वित्त आयोग ने केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को युक्तिसंगत बनाने और इनकी संख्या को कम करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने की गई सिफारिश के अनुसरण में कोई पहल की है; और

(घ) यदि हां, तो इसके अनुसरण में केन्द्र प्रायोजित उन योजनाओं को ब्यौरा क्या है जिन्हें बंद कर दिया गया था या बंद करने का प्रस्ताव रखा गया था?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): जी, हाँ। 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 12.51 (iv) में वार्षिक विनियोग की सीमारेखा राशि जिससे नीचे केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के वित्त-पोषण को रोका जा सके, को निर्धारित करने की सिफारिश की है। निर्धारित सीमारेखा राशि से नीचे के लिए प्रशासनिक विभाग स्कीम को जारी रखने की आवश्यकता का औचित्य बताना चाहिए। चूंकि चालू स्कीमों की समय-सीमा अवधि वित्त आयोग की अवधि के साथ समाप्त हो जाती है, सभी केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों का तृतीय पक्ष द्वारा मूल्यांकन निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।

(ग) और (घ): भारत सरकार ने 15वें वित्त आयोग अवधि के साथ-साथ चल रही केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों को जारी रखने के लिए मूल्यांकन/ अनुमोदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। व्यय विभाग ने दिनांक 8 दिसंबर, 2020 के अपने का.ज्ञा. सं. 42(02)/पीएफ-II/2014 के तहत 31 मार्च, 2021 के बाद स्कीमों को जारी रखने के लिए निर्देश और दिशानिर्देश जारी किए हैं। मंत्रालयों/ विभागों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि अम्ब्रेला केंद्र प्रायोजित स्कीम के तहत या किसी पृथक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम अथवा स्कीम का पांच वर्ष के लिए वित्तीय परिव्यय 300 करोड़ रुपए से कम नहीं होना चाहिए। यह स्पष्ट किया गया है कि स्कीमों को जारी रखने के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने से पहले प्रशासनिक मंत्रालयों/ विभागों को चालू स्कीमों को युक्तिसंगत बनाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मंत्रालयों/ विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे मूल्यांकन रिपोर्ट के साथ स्कीमों को जारी रखने के प्रस्ताव प्रस्तुत करें और सभी नियत प्रक्रिया को पूरा करें तथा स्कीमों की समीक्षा जल्द से जल्द करवाएं। ऐसे समीक्षा के दौरान स्कीमों को बंद किया जा सकता है / तर्कसंगत बनाया जा सकता है।

***